

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 236,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01 मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1 - 2

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु नवीन वाहन क्रय मद में राशि रुपये 6.81 लाख एवं वाहन का प्रतिस्थापन मद में राशि रुपये 24.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 31,11,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 3 - 4

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु अन्य एवं वाहन अनुरक्षण हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु वेतन मद में राशि रुपये 15.00 लाख एवं महंगाई भत्ता मद में राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 7 - 8

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 5.00 लाख एवं अंतरिम राहत मद में राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 9

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु अंतरिम राहत मद में राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु फर्नीचर अनुरक्षण मद में राशि रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 11

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु उप वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 4.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 25.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 14

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 002

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

सामान्य प्रशासन विभाग हेतु वेतन मद में राशि रुपये 17.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 003

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा हेतु राशन का मूल्य/भोजन मद में राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा हेतु नवीन वाहन क्रय के लिये नवीन मद खोला जाकर राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा हेतु परिवहन व्यवस्था के लिये परिवहन मद में राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 4-6

पुलिस मुख्यालय हेतु मुख्यमंती पुलिस आवास योजना के लिये वृहद निर्माण मद सामान्य के अंतर्गत राशि रुपये 60.00 करोड़, अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत राशि रुपये 23.00 करोड़ तथा अनसूचित जाति मद के अंतर्गत राशि रुपये 17.00 करोड़ कुल राशि रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 005

मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1 - 3

जेल विभाग हेतु केन्द्रीय तथा जिला जेलें योजना अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार मद में राशि रुपये 2.00 करोड़, किराया, महसूल और स्थानीय कर मद में राशि रुपये 15.00 लाख तथा दवाईयों का क्रय मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जेल विभाग हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 006
मुख्य शीर्ष 6075

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश वित्त निगम को सिडबी से लिये गये ऋणों का एक मुश्त भुगतान करने हेतु राशि रुपये 90.00 करोड़ की ऋण सहायता दिये जाने हेतु राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 007
मुख्य शीर्ष 2030

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग हेतु स्टाम्पों की छपाई पर रुपये 12.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

वाणिज्यिक कर विभाग हेतु न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय हेतु रुपये 93.46 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 93,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

वाणिज्यिक कर विभाग हेतु न्यायिकेतर स्टाम्पों की छपाई हेतु रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

वाणिज्यिक कर विभाग हेतु न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय हेतु रुपये 295.54 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,95,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 008
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 16.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2058

मद क्रमांक 2

शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 21.10 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 21,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 012
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत गठित विशेष अदालतों में पदस्थ न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत भुगतान हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

विद्युत वितरण कंपनियों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु उदय योजना अंतर्गत राशि रुपये 1100.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 3

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं अंतर्गत ग्रीन कारिडोर योजना में प्राप्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 285.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,85,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 4

ए.डी.बी. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं अंतर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 207.63 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,07,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ए.डी.बी. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं अंतर्गत कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की स्थापना योजना हेतु राशि रुपये 178.16 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,78,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं अंतर्गत ग्रीन कारिडोर योजना में प्राप्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 233.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,33,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं अंतर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 45.79 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,79,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं अंतर्गत 33/11 के.व्ही. उप केन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु राशि रुपये 148.38 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,48,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं अंतर्गत उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 25.34 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 013
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना अंतर्गत राशि रुपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 014
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1-3

गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना अंतर्गत राशि रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 015
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

विमुक्त घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जन जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन मद में राशि रुपये 9.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विमुक्त घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जन जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न छात्रवृत्तियां हेतु राशि रुपये 45.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विमुक्त घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जन जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

विमुक्त घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जन जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां हेतु राशि रुपये 20.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 017

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 1

मार्कफेड को अंशपूजी (नवीन योजना) अंतर्गत राशि रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 018
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

श्रम विभाग हेतु वेतन मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 2-4

श्रम विभाग हेतु मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिये अन्य मद (सामान्य) में राशि रुपये 60.00 करोड़, (अनुसूचित जनजाति) मद में रुपये 23.00 करोड़ तथा (अनुसूचित जाति) मद में राशि रुपये 17.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 019
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु राशि रुपये 922.79 करोड़ की सहायक अनुदान मद में अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,22,79,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला सिविल अस्पताल और औषधालय के अंतर्गत कोविड-19 में कार्यरत संविदा चिकित्सकों को पारिश्रमिक हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला सिविल अस्पताल और औषधालय के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत वेतन हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ की अतिरिक्त

आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 6

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के लिये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने हेतु केन्द्र से स्वीकृत प्रथम किश्त के अनुसार राशि रुपये 126.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,26,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना अंतर्गत प्रदेश के लिये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने हेतु राज्यांश मद में रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 020

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 1

जल जीवन मिशन अंतर्गत सामान्य मद में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की पूर्ति हेतु राशि रुपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जल जीवन मिशन अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मद में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की पूर्ति हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जल जीवन मिशन अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जल जीवन मिशन अंतर्गत सामान्य मद में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की पूर्ति हेतु राशि रुपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जल जीवन मिशन अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मद में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की पूर्ति हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जल जीवन मिशन अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 022

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1-3

वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 4-6

स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत धनवेधन/निवेश मद में रुपये 549.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,49,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मेट्रो रेल अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण कार्य के लिये रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 8

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम (ब्याज रहित) मद में रुपये 182.53 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,82,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम (ब्याज रहित) मद में रुपये 1000.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 023

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नई गढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शामगढ़ सुभाषरा सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पार्वती रिसी वृहद सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

बीना वृहद सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

बीना परियोजना अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में राशि उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

बंडा सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 137.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,37,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

हनोता सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

हनोता सिंचाई परियोजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उप योजना मद में राशि व्यय हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

केन्द्र सरकार से विशेष पूंजीगत सहायता अंतर्गत हनोता सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

केन्द्र सरकार से विशेष पूंजीगत सहायता अंतर्गत सुथालिया सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

केन्द्र सरकार से स्वीकृत केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत केन्द्रांश राशि की पूर्ति हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

केन्द्र सरकार से स्वीकृत केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 15

छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 45.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

बघराजी मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

झिन्ना मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 7.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

घोघरी मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

मेधा मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 22

लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 024

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राजकीय राजमार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जिला तथा अन्य सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जिला तथा अन्य सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जिला तथा अन्य सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य के नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु राशि रुपये 42.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 42,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य के नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य के नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 9

वृहद पुलों के निर्माण हेतु रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निम्न तालिका अनुसार सरल क्रमांक 1 में अंकित कार्य परीक्षित मद में एवं शेष कार्य अपरीक्षित मद के रूप में नवीन कार्य किये जाने प्रस्तावित है। सरल क्रमांक 9 पर अंकित कार्य अनुसूचित जाति मद में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
------	------	--------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------

1.	खण्डवा	ओंकारेश्वर जिला खण्डवा में मौनी बाबा आश्रम से श्री आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा स्थापना स्थल तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु नर्मदा नदी में अस्थाई रपटा प्लस बैली ब्रिज का निर्माण	0.00	898.11	100
2.	सीहोर	छीपानेर से पीपलनेररया मार्ग में काकेडी नदी पर जलमगनीय पुल	0.00	526.20	100
3.	सीहोर	अम्बाकदीम से सुआपानी के मध्य सीन नदी पर जलमगनीय पुल का निर्माण	0.00	518.87	100
4.	सीहोर	ग्राम मनासा ग्राम पंचायत गिल्लौर में पुल निर्माण	0.00	540.00	100
5.	सीहोर	लाचौर से पाचौर मार्ग पर अम्बर नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण	0.00	319.78	100
6.	सीहोर	हाथीघाट ताजपुरा मार्ग पर अम्बर नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण	0.00	315.06	100
7.	सीहोर	ग्राम सियागहन तहसील बुदनी जिला सीहोर में नदी पर जलमगनीय पुल का निर्माण	0.00	180.00	100
8.	भोपाल	कोलार पुल(सर्वधर्म) का चौडीकरण	0.00	380.00	100
9.	खरगोन	चेनपुर मे डूब प्रभावितों के लिए पुल का निर्माण	0.00	500.00	100
10.	मुरैना	ग्राम पिडावली पर क्वारी नदी पर रपटा निर्माण	0.00	240.00	100

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना क्रमांक 8042 विश्राम भवन/गृह का निर्माण अंतर्गत सरल क्रमांक 1 से 2 तक परीक्षित मद एवं सरल क्रमांक 3 से 5 तक अपरीक्षित मद में नवीन कार्य प्रस्तावित है।

1.	होशंगाबाद	पचमढी जिला होशंगाबाद में रविशंकर भवन की व्ही. आई. पी. गेस्ट हाउस के रिनोवेशन एवं कंसट्रक्शन कार्य (पी0आई0यू)	0.00	698.00	100
2.	भोपाल	चार इमली भोपाल मे परागमन पारिवारिक खण्ड का निर्माण कार्य (पी0आई0यू)	0.00	785.00	100
3.	सीहोर	मुख्यालय नसरुल्लागंज में रेस्ट हाउस (शाहगंज माडल) का निर्माण	0.00	345.67	100
4.	सीहोर	मुख्यालय बुधनी में रेस्ट हाउस (शाहगंज माडल) का निर्माण	0.00	345.67	100
5.	सीहोर	मुख्यालय सलकनपुर में रेस्ट हाउस (शाहगंज माडल) का निर्माण	0.00	345.67	100

योजना क्रमांक 3839 आवास गृहों का निर्माण अंतर्गत परीक्षित मद में निम्न कार्य प्रस्तावित है।

1.	भोपाल	तुलसीनगर भोपाल में 64 डी. टाईप क्वार्टर्स कंपस में 48 नग सर्विस अपार्टमेंट एवं वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय भवन का निर्माण का कार्य		953.29	100
----	-------	--	--	--------	-----

योजना क्रमांक 1938 शासकीय आवास गृहों का निर्माण अंतर्गत परीक्षित मद में निम्न कार्य प्रस्तावित है।

1.	भोपाल	चार इमली भोपाल स्थित शा. बं. क्र. बी-7 में अतिरिक्त निर्माण कार्य		132.35	100
----	-------	---	--	--------	-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

राज्य राजमार्ग अंतर्गत वृहद पुलों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

एन.डी.बी. से वित्त पोषित परियोजनाओं अंतर्गत पुल निर्माण हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

एन.डी.बी. से वित्त पोषित परियोजनाओं अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मद में पुल निर्माण हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

एन.डी.बी. से वित्त पोषित परियोजनाओं अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में पुल निर्माण हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है। जिसमें निम्न परीक्षित मद के नवीन कार्य स्वीकृत किये जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
------	------	--------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------

1.	बड़वानी	बड़वानी बावनगजा पाटी बोकराटा मार्ग कि. मी. 23/4 गोई नदी पर नवीन उच्च स्तरीय पुल का (एम.पी. आर.डी.सी.) निर्माण	0.00	1291.95	100
2.	सागर	अस्थाई कोविड अस्पताल बीना में डोम हेतु कांक्रीट बेस एवं प्रशासकीय ब्लॉक एवं पार्किंग एरिया के बेस निर्माण कार्य	0.00	151.98	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि में सामान्य मद अंतर्गत राशि रुपये 195.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,95,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि में अनुसूचित जनजाति मद अंतर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

एन.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों का मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 140.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

ए.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों का मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निर्माण हेतु राशि रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

ए.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 230.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

ए.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों का मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

ए.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 70.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

ए.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों का मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निर्माण हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

ए.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु सामान्य मद में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निम्न तालिका अनुसार सरल क्रमांक 1,2, एवं 11 में अंकित कार्य परीक्षित मद में एवं शेष कार्य अपरीक्षित मद के रूप में नवीन कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत	प्रतीक प्रावधान
------	------	--------------	-------	------	-----------------

		(कि.मी.)	(रु. लाख में)	(रुपये में)
1. सागर	कोविड-19 के लिये अस्थायी अस्पताल पहुंच मार्ग (भारत ओमान रिफाईनरी गेट नंबर 01 से एवं बीना आगासोद कंजिया रोड से अस्थाई अस्पताल तक रोड़ निर्माण	3.20	4.21	100
2. खण्डवा	ओंकारेश्वर जिला खण्डवा में मौनी बाबा आश्रम से श्री आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा स्थापना स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण	2.03	11.98	100
3. भिण्ड	उमरी से पांडरी मार्ग (यू.पी. बार्डर)	12.00	1200.00	100
4. भिण्ड	ग्राम हरवंश की खोड से रछेडी रीड व्हाया काशीपुरा पहुंच मार्ग	5.00	450.00	100
5. भिण्ड	लहरोली से ढोचरा पहुंच मार्ग	2.10	189.00	100
6. आगर मालवा	निपानिया बैजनाथ से लसूड़िया अहिरबर्दिया सूण्डीखेड़ा	9.00	618.16	100
7. आगर मालवा	बडौद नगर उज्जैन दरवाजा से खजुरी बडौद रोड तक बायपास मार्ग	5.00	250.00	100
8. पन्ना	हरनामपुर से भखुरी मार्ग	4.70	550.00	100
9. सिंगरौली	रेही से नवाही पहुंच मार्ग	7.00	461.44	100
10. सिंगरौली	पोड़ी तृतीय पीडीएस भवन से अजगुढ़ मार्ग	10.00	708.00	100
11. भोपाल	सूरजनगर से मिलैनियम कॉलेज व्हाया विशनखेड़ी तिराहा मार्ग पर एम.-40 ग्रेड कन्वेंशनल व्हाईट टॉपिंग कार्य (बी. टी. कार्य सहित)	7.20	794.96	100
12. भोपाल	रा. रा. से बी. एस. एफ केम्पस पहुंच मार्ग बदरखां मार्ग	2.80	322.00	100
13. मण्डला	बिछुआ से मलारा मार्ग	1.50	140.00	100
14. शिवपुरी	ग्राम आसपुर पहुँच मार्ग	2.00	145.00	100
15. इंदौर-2	पितृ पर्वत से नरसिंह कालेज मार्ग	2.25	126.94	100
16. भोपाल	भदभदा बिलकिसगंज मार्ग 4 लेन कि.मी.5 से 13	8.00	4000.00	100
17. रीवा	पटपरा से शुक्लगावां बाया सगरा मार्ग	2.90	500.00	100
18. रीवा	डेली से मोहनगढ़ के मध्य सेगरी नाले पर पुल निर्माण	0.50	300.00	100
19. रीवा	जरहा पुल निर्माण	0.50	300.00	100
20. सागर	रनगुवां से सेजेघाट मार्ग	3.50	315.00	100
21. सागर	शाहपुर से भदभदो बड़ी खेरमाई मार्ग	3.10	279.00	100
22. सागर	रहली चांदपुर मार्ग (अटल ब्रिज से अस्पताल तिराहा फेरलेन डिवाइडर सहित)	1.80	600.00	100
23. सागर	गिरवार से घोची (पिपरिया) मार्ग	2.80	300.00	100
24. सागर	गढ़ाकोटा से बसारी मार्ग	1.45	130.00	100
25. सागर	बमूरा तिराहा से कासल पिपरिया मार्ग	1.50	135.00	100
26. सागर	रोन बमोरी कुंवरपुर मार्ग	6.00	600.00	100
27. सागर	चौका चक्की से काछी पिपरिया मार्ग (देवरी एवं मझगुवां ग्राम मे सी. सी. रोड़ पुर्ननिर्माण)	1.20	200.00	100
28. सागर	सेमरा अचलपुर पर्रका मार्ग (ग्राम अचलपुर एवं पर्रका में सी. सी. रोड़ पुर्ननिर्माण)	1.20	200.00	100
29. सीहोर	ग्राम बम्होरी से सोमलवाडा भारकच्छ मार्ग	7.50	1290.45	100

30.	सीहोर	छःघरा से पातालखोह मार्ग	2.10	313.58	100
31.	सीहोर	आमोन (एस. एच.) मार्ग से खैरी सिलगना मार्ग	4.50	781.65	100
32.	सीहोर	खैरी सिलगना नहर से कोसमी मार्ग	4.50	690.59	100
33.	सीहोर	नरसिंह मंदिर खैरी सिलगना से बारना तक मार्ग	1.50	259.18	100
34.	सीहोर	शासकीय स्कूल खैरी सिलगना से ठीकरी मार्ग	3.20	467.49	100
35.	सीहोर	जोनतला से सिलगना मार्ग	4.00	621.24	100
36.	सीहोर	नांदनेर से सिलगना मार्ग	5.00	803.08	100
37.	सीहोर	ठीकरी से नानभेंट मार्ग	3.20	480.35	100
38.	सीहोर	ठीकरी से कुसुमखेड़ा मार्ग	3.00	466.65	100
39.	सीहोर	जोनतला से बकतरा मार्ग	4.20	530.48	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

सड़कों के सुदृढीकरण हेतु सामान्य मद में रुपये 24.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निम्न तालिका अनुसार सरल क्रमांक 1 से 8 तक परीक्षित मद एवं सरल क्रमांक 9 से 10 अपरीक्षित में नवीन कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
1.	सिवनी	बरगी घंसौर मार्ग से पायली तक मार्ग	3.50	548.77	100
2.	अलीराजपुर	मालमसूरी से खिचड़िया का घोसा (गुजरात सीमा तक) मार्ग	6.00	389.77	100
3.	अलीराजपुर	होली फलिया मेंढा से बेहड़वा मेन रोड़	2.65	213.59	100
4.	अलीराजपुर	बरझर मेन रोड़ से महेन्द्रा सरपंच फलिया मार्ग	5.00	336.01	100
5.	अलीराजपुर	रिंगोल खाण्डीवांव से माल फलिया मार्ग	4.50	328.39	100
6.	अलीराजपुर	काकड़बारी से सिमाड़ा फलिया (गुजरात सीमा तक) मार्ग	2.50	175.88	100
7.	अलीराजपुर	सेजावाड़ा बरझर मेन मार्ग से सेजावाड़ा कालिया फलिया मार्ग	2.50	135.77	100
8.	अलीराजपुर	बरझर मेन रोड़ से महेन्द्रा रणखेतर फलिया मार्ग	3.00	182.60	100
9.	खरगोन	छिल्टीया से मोहनखेड़ी के बीच क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नवीन पुलिया	0.00	180.00	100
10.	खरगोन	बोन्दरिया से वामनपुरी मार्ग	10.00	900.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

सड़कों के सुदृढीकरण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति मद में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है। इसके

अतिरिक्त निम्न तालिका अनुसार सरल क्रमांक 1 से 6 तक परीक्षित मद एवं सरल क्रमांक 7 से 13 तक अपरीक्षित मद में नवीन कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
1.	सतना	द्वारी से ररा पहुंच मार्ग	1.24	123.18	100
2.	सतना	पिपरी से काटेश्वर मार्ग व्हाया ररिया टोला रमजुआ मार्ग	8.00	453.29	100
3.	निवाड़ी	ग्राम रोतेला कोयली से बजरंगगढ़ मार्ग	6.00	480.51	100
4.	खण्डवा	बलखड़ से माकरला मार्ग	3.20	274.85	100
5.	खण्डवा	पंधाना से रोशनहार मार्ग	4.20	361.25	100
6.	खण्डवा	बड़िया से संगवाड़ा मार्ग	5.00	421.65	100
7.	सतना	मोहारी साइलो से लालपुर इटमा मार्ग	9.80	885.00	100
8.	मंदसौर	गरावत से बूढ़ा मार्ग	3.00	240.00	100
9.	मंदसौर	लच्छाखेडी से कमलपुरा मार्ग	2.00	160.00	100
10.	मंदसौर	उतपुरा से सेमली मार्ग	2.00	160.00	100
11.	मंदसौर	भीलखेडी से लोढ़ाखेडा मार्ग	2.00	160.00	100
12.	मंदसौर	बादपुर से बांसखेडी मार्ग	2.00	160.00	100
13.	मंदसौर	डिकनिया से बाबूखेडा मार्ग	2.00	160.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

नाबार्ड से वित्त पोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु सामान्य मद में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

नाबार्ड से वित्त पोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

नाबार्ड से वित्त पोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति मद में रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

एन.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण हेतु सामान्य मद में रुपये 282.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,82,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

एन.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति मद में रुपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

एन.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति मद में रुपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 39

एन्यूटी भुगतान हेतु सामान्य मद में रुपये 265.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

एन्यूटी भुगतान हेतु अनुसूचित जाति मद में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 026

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार के लिये रुपये 20.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 029

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

विधि विभाग हेतु दूरभाष व्यय मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विधि विभाग हेतु पेट्रोल तेल आदि मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विधि विभाग हेतु विशेष न्यायालय एम.पी. एवं एम.एल.ए. के लिये नवीन मद सृजित करने हेतु राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

विधि विभाग हेतु परिवार न्यायालयों की स्थापना योजना के लिये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 10.00 लाख एवं स्थानांतरण यात्रा भत्ता मद में राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 6

विधि विभाग हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता मद में राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 7 - 8

विधि विभाग हेतु म.प्र. विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान योजना के लिये वेतन मद में राशि रुपये 2.50 करोड़ एवं अंतरिम राहत मद में राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 030

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1-3

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि रुपये 2000.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 4-6

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 7-9

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद योजना अंतर्गत राशि रुपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद हेतु सहायक अनुदान मद अंतर्गत राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 11-13

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत राशि रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14-16

मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन योजना अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 031

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 1

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय अंतर्गत अन्य प्रभार मद में रुपये 92.89 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 92,89,454 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 032
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

जनसंपर्क विभाग अंतर्गत विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 2 - 3

जनसंपर्क विभाग अंतर्गत निर्देशन और प्रशासन योजना अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान एवं शासन द्वारा पत्रकारों के लिये स्वीकृत बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 8.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जनसंपर्क विभाग अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूर्व वित्तीय वर्षों में जारी एवं आगामी शेष माह में जारी किये जाने वाले विज्ञापनों/प्रचार हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जनसंपर्क विभाग अंतर्गत प्रिन्ट मीडिया हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जनसंपर्क विभाग अंतर्गत विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 7

जनसंपर्क विभाग अंतर्गत विज्ञापन, बिक्री और प्रचार हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 033

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु केन्द्रांश में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु राज्यांश में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुर्नविनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 3

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जैविक कृषि कार्यक्रम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत सीएम राईज योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण अन्वेषण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 034

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 20

मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग (नवीन योजना) अंतर्गत राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 035

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में मध्यवर्ती कार्यालय अंतर्गत सामग्री एवं पूर्तियां मद में रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 9

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यालय, सम्मेलन, प्रत्यक्ष राज सहायता, अन्य राज सहायता के लिये रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 036

मुख्य शीर्ष 2041

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण की स्थापना के अंतर्गत अंतरिम राहत (न्यायिक सेवा) के भुगतान हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 038
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

राज्य में पादप औषधियों के विकास हेतु राज्य औषधीय पादप बोर्ड के लिये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन में सहायक अनुदान मद एवं पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राशि रुपये 2926.31824 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 29,26,31,824 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन में सहायक अनुदान हेतु कुल राशि रुपये 1933.85500 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,33,85,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन में सहायक अनुदान मद हेतु कुल राशि रुपये 112.81667 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,12,81,667 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 039
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार (नवीन योजना) अंतर्गत राशि रुपये 3.03 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,03,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4408

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कोर्पोरेशन को अंशपूँजी (नवीन योजना) अंतर्गत राशि रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 040
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

निःशुल्क सायकिलों के वितरण हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 2

सी.एम. राइज योजना अंतर्गत सर्वेक्षण, अन्वेषण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 043
मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 1,4,5

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सम्मान राशि के वितरण एवं अलंकरण समारोह हेतु कुल राशि रुपये 964.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु स्टेडियम आदि योजना अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां सुरक्षा व्यवस्था हेतु राशि रुपये 40.00 लाख एवं स्थाई संपत्तियों के अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 65.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 044
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को भवन किराये के भुगतान हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय योजना अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं वृत्तियां भुगतान हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3-4

छात्रों के लिये पुस्तकें/स्टेशनरी आदि के प्रदाय हेतु कुल राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 046
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1 - 2

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशन और प्रशासन योजना अंतर्गत नवीन वाहन क्रय करने हेतु राशि रुपये 13.00 लाख एवं पेट्रोल तेल आदि हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 047
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1 - 3

पोलीटेक्निक संस्थायें हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता योजना अंतर्गत कार्यालय फर्नीचर क्रय हेतु राशि रुपये 2.92 लाख, पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें हेतु रुपये 9.04 लाख एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 10.87 लाख कुल राशि रुपये 22.83 लाख का प्रावधान

शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 22,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

पोलीटेक्निक संस्थायें हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता योजना अंतर्गत कार्यालय उपकरणों का क्रय हेतु राशि रुपये 130.65 लाख एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 0.90 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,31,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

पोलीटेक्निक संस्थायें हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता योजना अंतर्गत कार्यालय उपकरण क्रय हेतु राशि रुपये 34.95 लाख एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 2.70 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है। कुल राशि रुपये 37.65 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 37,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 8

पोलीटेक्निक संस्थायें हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता योजना अंतर्गत मशीनें और संयंत्र मद में राशि रुपये 83.48 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 83,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

पोलीटेक्निक संस्थायें हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 62.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 048

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण हेतु राशि रुपये 88.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 2

बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के क्रियान्वयन हेतु सी.ए.डी. प्लान अंतर्गत राशि रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के क्रियान्वयन हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 125.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 12.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 12,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत नहर एवं संबंधित निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत सी.ए.डी. प्लान में निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 1.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत नहर एवं संबंधित निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत सी.ए.डी. प्लान में निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत नहर एवं संबंधित निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

ओंकारेश्वर परियोजना के विद्युत प्रभार भुगतान हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत एन.एच.डी.सी. को भुगतान अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास में निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 8.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

रानी अवंती बाई सागर परियोजना में अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

रानी अवंती बाई सागर परियोजना में निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

रानी अवंती बाई सागर परियोजना यूनिट-2 में निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

लोअर गोई परियोजना में निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

चिंकी बैराज बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

मोरांड गंजाल परियोजना अंतर्गत सर्वेक्षण, अन्वेषण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय हेतु राशि रुपये 84.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

मोरांड गंजाल परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य पर व्यय हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

नाबाई से वित्त पोषित नर्मदा मालवा गंभीर लिंक उद्वहन परियोजना में निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

जावर उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

बलकबाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

अम्बारोडिया उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 8.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

कालीसिंध लिंक परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 225.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

नर्मदा नदी के किनारे घाट निर्माण हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 8.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

पिपरी उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

नीलकुण्ड घाट संरक्षण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

एन.बी.पी.सी.एल. कंपनी में धनवेष्ठन हेतु राशि रुपये 1500.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

पाटी उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

किल्लौद उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

पामखेड़ी उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

भुरलाय उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

कोदवार उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

खालवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

रानी दुर्गावती उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 39

आई.एस.पी. काली सिंध फेस-2 अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

जावर उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 6.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

कालीसिंध लिंक परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति मद में राशि रुपये 57.20 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 57,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

उज्जैन देवास पाईपलाईन योजना के निर्माण हेतु राशि रुपये 1.90 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

जावर उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जाति मद में राशि रुपये 14.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 44

विशेष पूंजीगत सहायता अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना हेतु स्वीकृत राशि की पूर्ति हेतु राशि रुपये 115.78 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,15,78,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45

विशेष पूंजीगत सहायता अंतर्गत भारत सरकार द्वारा डही उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना हेतु स्वीकृत राशि की पूर्ति हेतु राशि रुपये 95.69 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 95,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 46

विशेष पूंजीगत सहायता अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के व्यय हेतु आई.एस.पी. काली सिंध फेस-2 अंतर्गत निर्माण कार्य में राशि रुपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 47

नाबार्ड से वित्त पोषित नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना में निर्माण हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 48

नाबार्ड से वित्त पोषित भीकनगांव बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना में निर्माण हेतु राशि रुपये 57.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 57,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 49

नाबार्ड से वित्त पोषित बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना में निर्माण हेतु राशि रुपये 18.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 50

नाबार्ड से वित्त पोषित नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण हेतु राशि रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 51

नाबार्ड से वित्त पोषित नर्मदा-झाबुआ-पेटलाबद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन सिंचाई योजना में निर्माण हेतु राशि रुपये 115.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 52

जोबट परियोजना के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 53

ओंकारेश्वर परियोजना में हाइडल उत्पादन अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु सामान्य मद में राशि रुपये 1.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 54

हाईडल उत्पादन अंतर्गत इंदिरा सागर केनाल बेड पावर हाउस में निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 55

निचली नर्मदा परियोजना में निष्पादन स्थापना अंतर्गत अंशदान की पूर्ति हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 56

सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन एवं अन्य कार्यों हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 049 मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत म.प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम हेतु राशि रुपये 05.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9वीं. एवं 10वीं) की छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विविध छात्रवृत्तियां हेतु केन्द्रांश मद में रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विविध छात्रवृत्तियां हेतु राज्यांश मद में रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुर्नविनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षित युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु केन्द्रांश मद में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय एवं अन्य) हेतु केन्द्रांश मद में रुपये 29.00 करोड़ के प्रावधान

मद क्रमांक 15

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु केन्द्रांश मद में राशि रुपये 4602.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 46,02,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सावित्री बाई फुले स्व सहायता हेतु केन्द्रांश मद में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सावित्री बाई फुले स्व सहायता हेतु राज्यांश मद में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुर्नविनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 18

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश मद में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 052

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय की छात्रवृत्तियां हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के संधारम अनुदान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय की छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) हेतु राशि रुपये 95.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 95,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत दन्त महाविद्यालय के संधारम अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में टी.व्ही. चेस्ट विभाग की स्थापना के संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 75.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि) हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 10

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन में वृहद निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीय मद में राशि रुपये 98.49 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 98,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 053

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

कार्यालय भवनों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भवन की विशेष मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विश्राम गृह भवनों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 4

साधारण पूल आवास के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

साधारण पुल आवास में विशेष मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 055

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 2.699 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,69,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस.वाई) अंतर्गत प्रथक बजट लाईन की व्यवस्था हेतु (लेखन सामग्री एवं फार्म तथा किराया, महसूल और स्थानीय कर) मद में रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राज्यांश की राशि का पुर्नविनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 056

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को ब्लॉक ग्रांट योजना अंतर्गत राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-3

कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग एवं विपणन अधोसंरचना योजना अंतर्गत प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 057

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

झील संरक्षण योजना अंतर्गत अन्य सहायता के लिये रुपये 4.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 062

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1-3

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 064

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 28

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत नव गठित म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हेतु विभिन्न मदों में कुल राशि रुपये 50.25600 लाख प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,25,600 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 065

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 2

विमानन संचालनालय अंतर्गत परिवहन व्यवस्था मद में रुपये 18.00 करोड़ एवं पुर्जों के लिये रुपये 1.00 करोड़ इस प्रकार कुल रुपये 19.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। परिवहन व्यवस्था मद में प्रस्तावित राशि रुपये 18.00 करोड़ में से रुपये 12.00 करोड़ का समायोजन आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।